1

98

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R-3952-II/16

आर.एफ. टेम्प
22-11-16

22/11/16

574
22/11/16

1. मेसर्स राजपूत गन सर्विस द्वारा दलजीत सिंह पिता केसर सिंह निवासी ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

2. श्री कृष्ण मेहरोत्रा तनय रामकृष्ण खत्री निवासी बरही कटनी जिला कटनी म0प्र0 ----आवेदक

बिरुद्ध

1. मध्यप्रदेश राज्य

2. जुगुलकिशोर कनौडिया तनय श्री राधाकृष्ण कनौडिया निवासी जय स्तंभ चौक ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

3. देवरती पुत्री जागेश्वर प्रसाद सेन निवासी ग्राम ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

4. श्रीमती श्याकली पत्नी देवतादीन

5. सुरेन्द्र कुमार पिता देवतादीन

6. विजय कुमार पिता देवतादीन

7. रवीन्द्रनाथ पिता शिवमणि पाठक

सभी निवासी ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

8. हीरामणि पिता चुनकमना केवट निवासी गोलहटा तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0

9. विमला देवी पत्नी राजमणि अग्निहोत्री निवासी मढ़ी तहसील रामपुर जिला सतना म0प्र0

Collector
application of

10. आदर्श महेन्द्रा पिता स्व0 रामकृष्ण खत्री निवासी अचाहार रायबरेली उ0प्र0

11. राज मेहरोत्रा पिता स्व0 हरिकृष्ण खत्री निवासी गुरुकृपा ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ----**अनावेदकगण**

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता बिरुद्ध आदेश कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण कमांक 11/अ-74/स्व प्रेरणा निगरानी/2015-16 जो आदेश दिनांक 08.11.16 मे पारित।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 08.11.16 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रकिया के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदक की ओर से प्रचलनशीलता के संबंध मे आपत्ति उठाई गई थी और यह लेख किया गया था कि अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 272/1988-89 जो रामकृष्ण खत्री बिरुद्ध म0प्र0 शासन के नाम से अपील निराकृत हुई जिसमे दिनांक 29.03.1997 को अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के द्वारा आवेदक कमांक-2 के पिता के हक मे आदेश पारित किया उस आदेश के रहते कलेक्टर को इन भूमियों के बावत सुनवाई करने का अधिकार नही था लेकिन कलेक्टर वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के बाद भी आवेदक की आपत्ति निरस्त किया और गलत ढंग से प्रकरण मे अनावेदक कमांक-2 को पक्षकार बनाए जाने का आदेश दिया जब मामला

...the ... Collector ... the application of

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 3952–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनाँक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ता
5-12-16	यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 11 अ–74/2015–16 स्वमेव निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8–11–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 371/2008–09 अपील में पारित आदेश दिनॉक 10–2–2016 में निर्णीत किया कि सार्वजनिक निस्तार की भूमियों के सम्बन्ध में कलेक्टर रिकार्ड का परीक्षण कर उचित निर्णय लें तथा देखें कि शासकीय भूमि अवैध तरीके से निजी हाथों में सौंपने के कारण शासन को क्षति तो नहीं हुई है। अपर आयुक्त के इस आदेश पर से कलेक्टर रीवा ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 11 अ–74/2015–16 आर्डरशीट दिनॉक 8–11–2016 से पंजीबद्ध कर निर्णय लिया कि अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 371/2008–09 अपील में जुगुल किशोर कनौडिया व्दारा अनियमिततायें होना शिकायत के माध्यम से उजागर की है , इसलिये स्वमेव निगरानी	

प्रकरण में जुगल किशोर कनौडिया पुत्र राधाकृष्ण कनौड़िया निवासी जय स्तम्भ रीवा को शासन पक्ष के साथ जोड़ जाता है । उन्होंने कारण बताओ सूचना पत्र हेतु प्रकरण 29-11-16 को नियत किया। कलेक्टर के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक, शासन के पैनल लायर तथा अनावेदक जुगल किशोर कनौडिया के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो के आधारों पर तथा उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 371/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनॉक 10-2-2016 के पालन में कलेक्टर रीवा ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 11 अ-74/2015-16 पॅजीबद्व करके कार्यवाही प्रारंभ की है, जबकि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 371/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनॉक 10-2-2016 राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1555-दो/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 20-5-16 से निरस्त किया जा चुका है एंव राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर के आदेश दिनांक 20-5-16 के प्रभावी रहने के कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग एंव कलेक्टर रीवा दोनों ही **Res-Judicata** से बाधित है इसके वाद भी कलेक्टर रीवा व्दारा ग्राम ढेंकहा की

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 3952–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ता।
	पुराना भूमि सर्वे कमांक 184 नये सर्वे नंबर 187, 188, 189 पर स्वमेव निगरानी पॅजीबद्ध करके कार्यवाही विचार में लेना न्यायिक प्रकिया एंव दायित्वों के विपरीत कार्यवाही है जिसके कारण कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 11 अ–74/2015–16 स्वमेव निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8–11–2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 11 अ–74/2015–16 स्वमेव निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8–11–2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है। सदस्य	